रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II— Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 406] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 1983/भाद्र 23, 1905
No. 406] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 1983 /BHADRA 23, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1983

का. आ. 660(अ)/18चक/18कक/आई.डी.आर.ए./83:— केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं. का. आ. 613(अ)/18चक/18कक/आई.डी.आर.ए./76 दिनांक 15 सितम्बर, 1976 द्वारा इण्डस्ट्रीयल रिकन्सट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स बंगाल पाटरीज लिमिटेड कलकत्ता के स्वामित्व वाले 45, टंगरा रोड, कलकत्ता और 3, पगलाडंग रोड, कलकत्ता स्थित औद्योगिक उपक्रमों के सम्पूर्ण प्रबंध को 15 सितम्बर, 1976 से पांच साल की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था,

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार को उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 657(अ)/18चक/18कक/आई.डी.आर.ए./18 तारीख 14 सितम्बर, 1981 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रमों का एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रबंध करते रहने के लिए प्राधिकृत किया था,

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 665(अ)/18चक/18कक/आई.डी.आर.ए./82, तारीख 14 सितम्बर, 1982 तथा का.आ. 174(अ)/18चक/18कक/आई.डी.आर.ए./83 तारीख 14 मार्च, 1983 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रमों का छह मास की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रबंध रहने के लिए प्राधिकृत किया था,

और केन्द्रीय सरकार ने, यह राय होने पर कि सर्व साधारण के हित में यह समीचीन था कि प्राधिकृत व्यक्ति उक्त औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध करना जारी रखें, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चक की उप-धारा (2) के परन्तुक के अधीन एक आवेदन कलकत्ता उच्च न्यायालय को किया था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि ऐसा प्रबंध छह मास की और अवधि के लिए जारी रखा जाए ।

और उक्त उच्च न्यायालय ने अपने, तारीख 12 सितम्बर, 1983 के आदेशानुसार प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त दो औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध छह मास की और अवधि तक जारी रखने के लिए अनुज्ञात कर दिया था ।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18कक के साथ पठित धारा 18-चक की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत व्यक्ति को

निर्देश देती है, कि वह 15 सितम्बर, 1983 से आरम्भ होने वाली छह मास की और अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध करना जारी रखें ।

[फाइल सं. 2(19)/75-सी.यू.एस.]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 14th September, 1983

S.O. 660(E)|18FA|18AA|IDRA|83.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 613(E)|18FA|18AA|IDRA|76, dated the 15th September, 1976 the Central Government had authorised the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited Calcutta (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the two industrial undertakings at 45, Tangra Road, Calcutta, and at 3, Pagladanga Road, Calcutta, owned by Messrs Bengal Potteries Limited, Calcutta, for a period of five years from the 15th September, 1976;

And, whereas, by the order of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 665(E)|18FA|18AA|IDRA|83 dated 14 September, 1982 and the Central Government authorised the authorised person to continue to manage the said two industrial undertakings for a further period of one year.

And whereas, by the orders of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 665(E)|18FA|18AA|IDRA|82 dated 14th September, 1982 and S.O. 174(E)|18FA|18AA|IDRA|83 dated the 14th March, 1983 the Central Government authorised the authorised person to continue to manage the said two industrial undertakings for a further period upto 14th September, 1983.

And, whereas, the Central Government being of opinion that it was expedient in the interests of the general public that the authoristd person should continue to manage the said Industrial undertakings, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period of six months;

And, whereas, the said High Court by its order dated the 12th September, 1983 permitted the authorised person to continue to manage the said two industrial undertakings for a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA read with section 18AA of the said Act, the Central Government hereby directs the authorised person to continue to manage the said two industrial undertakings for a further period of six months commencing from the 15th September, 1983.

[F. No. 2(19)|75-CUS]

आदेश

का. आ. 661(अ)/18 चख/उ.वि.वि.अ./83 .—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 39(अ)/18चख/उ.वि.वि.अ./77, तारीख 22 जनवरी, 1977 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) यह घोषणा की थी कि :—

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), इस अनुकूलों सहित की उक्त अधिनियम की धारा 9-क के अध्याय 5-क और 5-ख और धारा 33-ग का लोप किया जाएगा, मैसर्स बंगाल पाटरीज लिमिटेड कलकत्ता के स्वामित्वाधीन दो औद्योगिक उपक्रमों जो कि 45, टंगरा रोड, कलकत्ता और 3, पगलाढ़गा रोड, कलकत्ता में स्थित हैं, को लागू होगा, और

(ख) राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं संपत्ति के हस्तांरण-पत्रों, करारों व्यवस्थापनों, पंचाटों स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन (उनसे भिन्न जिनका संबंध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से है) जिनके उक्त औद्योगिक उपक्रम पक्षकार हैं या ऐसे औद्योगिक उपक्रमों की स्वामी कम्पनी पक्षकार है, या जो यथास्थिति, उन औद्योगिक उपक्रमों या कम्पनी को लागू होते हों, और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी या कोई अधिकारी विशेषाधिकार बाध्यताएं और दायित्व विलंबित रहेंगे,

और उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर और 14 सितम्बर, 1983 तक के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 14 मार्च, 1984 तक के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी जानी चाहिए,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अवधि 14 मार्च, 1984 तक के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है ।

[फाइल सं. 2(19)/75-सी.यू.एस.]

ए. पी. सरन, संयुक्त सचिव

ORDER

S.O. 661(E)|18FB|IDRA|83.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 39(E)|18FA|IDRA|77, dated the 22nd January, 1977 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clauses (a) & (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that :—

(a) the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), shall apply to the two industrial undertakings at 45 Tangra Road Calcutta, and 3 Pagladanga Road, Calcutta owned by M|s. Bengal Potteries Limited, Calcutta with the adaptation that section 9A, Chapters, VA and VB and section 33C of the said Act shall be omitted, and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the dated of publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secure liabilities to banks and financial institutions), to which the said industrial undertakings are parties, or the company owing such industrial undertakings, is a party or which may be applicable to the industrial undertakings of the company, as the case may be and all or any of the rights, privileges obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended;

And, whereas, the duration of the said Order was extended from time to time upto and inclusive of the 14th September, 1983;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said order should be extended for a further period upto and inclusive of the 14th March, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) and (b) of Sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 14th March, 1984.

[F. No. 2(19)|75-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983